प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 06.05.2026

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा कार चोरी करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार,कब्जे से चोरी की 01 कार बरामद।

घटना का विवरण: दिनांक 08.04.2026 को वादी श्री अनिल कुमार सिंह (निवासी: एन-20, सेक्टर-12, टीचर्स कॉलोनी, प्रताप विहार, गाज़ियाबाद) द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें अज्ञात चोरों द्वारा वादी की गाड़ी (हुंडई क्रेटा, रजिस्ट्रेशन नम्बर: UP14EZ1080) चोरी कर लिए जाने की सूचना दी गई थी। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना विजयनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण: घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए टीमें गठित की गई। आज दिनांक 06.05.2026 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त इमरान (पुत्र मेहरबान, निवासी: 60 फुटा रोड, 10 फुटी गली, समर गार्डन, थाना लिसाड़ी गेट, जनपद मेरठ) को सीएसएचपी स्कूल के आगे फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता: इमरान पुत्र मेहरबान, निवासी: 60 फुटा रोड, 10 फुटी गली, समर गार्डन, थाना लिसाड़ी गेट, जनपद मेरठ (उम्र: 40 वर्ष)।

बरामदगी का विवरण: 01 कार (हुंडई क्रेटा, रजिस्ट्रेशन नम्बर: UP14EZ1080) - चोरी की।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि, "मैं अपने साथियों के साथ मिलकर मेरठ एवं एनसीआर क्षेत्र में गाड़ियों की चोरी करता हूँ। दिनांक 08.04.2026 की रात्रि में मैंने अपने साथी गुलफाम व फैसल के साथ प्रताप विहार से एक क्रेटा कार चोरी की थी। आज भी हम लोग इस गाड़ी से किसी अन्य घटना की रैकी के लिए आए थे, तभी पुलिस द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।"

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास: अभियुक्त इमरान उपरोक्त पर 14 अभियोग (चोरी, धोखाधड़ी, आयुध अधिनियम व हत्या के प्रयास से सम्बन्धित) जनपद मेरठ में, 02 अभियोग (चोरी एवं आयुध अधिनियम से सम्बन्धित) कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में, तथा 02 अभियोग (चोरी से सम्बन्धित) कमिश्नरेट गाजियाबाद में पंजीकृत हैं। अभियुक्त पर कुल लगभग 18 अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम: थाना विजयनगर पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम एवं एसटीएफ (गौतम बुद्धनगर) की संयुक्त कार्रवाई में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार; कब्जे से ड्रग्स, कार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद।

घटना का विवरण:

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन एवं पुलिस उपायुक्त नगर के पर्यवेक्षण में कमिश्नरेट गाजियाबाद में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत थाना नन्दग्राम पुलिस और एसटीएफ (गौतम बुद्धनगर) की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 05.05.2026 को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई। टीम ने हनुमान चौक से अग्रवाल रोड की ओर जाने वाले रास्ते से एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

अभियुक्त का विवरण:

- **नाम:** करन राजीव पुत्र राजीव भाटिया
- **उम्र:** 33 वर्ष
- **वर्तमान पता:** G-232, विंसर पैराडाइज-2, राजनगर एक्सटेंशन, थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद।
- **मूल निवासी:** म.न. 1398, सेक्टर-15, फरीदाबाद, हरियाणा।

बरामदगी का विवरण:

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से निम्नलिखित अवैध सामग्री और उपकरण बरामद किए हैं:

1. **मादक पदार्थ:** 252 ग्राम चरस, 143 ग्राम गांजा (इम्पोर्टेड OG), 67 ग्राम 'बाबा कुश' (THC Oil) और 72 ग्राम अल्प्राजोलम (Alprazolam) गोलियां।
2. **वाहन:** एक होंडा एकॉर्ड कार (नंबर: DL 3C BE 6560)।
3. **इलेक्ट्रॉनिक उपकरण:** 04 मोबाइल फोन, 01 बड़ा इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 01 पोर्टेबल मोबाइलनुमा छोटा तराजू।
4. **बैंकिंग दस्तावेज:** 17 चेकबुक तथा 28 एटीएम/क्रेडिट कार्ड।
5. **शस्त्र:** 01 खुकरी चाकू।

पूछताछ एवं कार्यप्रणाली (Modus Operandi):

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे **WhatsApp और Telegram** पर ग्रुप और ब्रॉडकास्ट चैनल बनाकर ग्राहकों से संपर्क करता था। ऑर्डर मिलने के बाद वह **'पोटर' (Porter)** जैसे डिलीवरी एप्स के माध्यम से राइडर बुक करके मादक पदार्थों की होम

डिलीवरी करवाता था। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह इस अवैध व्यापार से होने वाली कमाई का उपयोग अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए करता है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:

- थाना नन्दग्राम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
- एसटीएफ (STF) टीम, गौतम बुद्धनगर।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण, घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त व 20 हजार रुपये की इनामी अभियुक्ता गिरफ्तार ।

दिनांक 11.04.2026 को थाना लोनी पर वादिया नसरीन पत्नी अजुमददीन उर्फ तन्ना निवासी नियर चांद मस्जिद , टोली मोहल्ला , लोनी गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि 1.बिलाल व 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिया के पति अजीमुददीन उर्फ नन्ना की हत्या करना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा 103(1)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस व मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना का अनावरण करते हुये घटना में शामिल 1.अभियुक्त बिलाल पुत्र स्व0 अजीजुद्दीन निवासी टोली मोहल्ला कस्बा व थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष 2.अभियुक्ता खुशबू पत्नी मुस्तकीम निवासी टी 70 ए फर्स्ट फ्लोर पटेल नगर बाबा फरीदपुरी दिल्ली 3. निसार अली के नाम प्रकाश में आये है।

दिनांक 05.05.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 1.अभियुक्त बिलाल पुत्र स्व0 अजीजुद्दीन निवासी टोली मोहल्ला कस्बा व थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष को पुलिस थाना मुब्रा जिला थाणे महाराष्ट्र से 05 दिवस के ट्रांजिट रिमांड पर गाजियाबाद लाया गया जिसको मा0 न्यायालय गाजियाबाद में पेश किया जायेगा तथा अभियुक्ता खुशबू पत्नी मुस्तकीम निवासी टी 70 ए फर्स्ट फ्लोर पटेल नगर बाबा फरीदपुरी थाना पटेल नगर दिल्ली को दिनांक 05.05.2026 को थाना क्षेत्र लोनी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। वांछित अभियुक्त निसार अंसारी की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। इनाम की धनराशि गिरफ्तार करने वाली टीम को नियमानुसार वितरित की जाएगी।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त बिलाल ने पूछताछ करने पर बताय कि उसके माता-पिता ने उसको अपनी सारी सम्पत्ति से बेदखल कर दिया था काफी समझाने के बाद मेरे पिता ने प्रोपर्टी में से कोई हिस्सा व जीविका चलाने के लिए कोई भी खर्चा मुझे नही दिया। तभी मैंने योजना बनाई और मैंने एवं खुशबू तथा मेरे दोस्त निसार अंसारी ने पिता की हत्या करके बेसमेन्ट मे ही बॉडी को छोडकर बाहर से ताला

लगाकर भागकर मुम्बई चले गये खुशबू भी मुझे देखने के लिए आ रही थी ।तभी पुलिस ने खुशबू को भी पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-

1. अभियुक्त बिलाल पुत्र स्व0 अजीजुद्दीन निवासी टोली मोहल्ला कस्बा व थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष।

2.अभियुक्ता खुशबू पत्नी मुस्तकीम निवासी टी 70 ए फर्स्ट फ्लोर पटेल नगर बाबा फरीदपुरी थाना पटेल नगर दिल्ली।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 05.05.2026 को थाना अंकुर विहार पर वादिया द्वारा अभियुक्तगण खालिद हुसैन व उसके अन्य साथियों के द्वारा बन्दी बनाये रखने तथा बन्दी बनाकर मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने व नशीला पदार्थ खिलाकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने तथा मुंह से बोलकर तीन तलाक देने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल सुसंगत धारा-64(1)/352/351(2)/351(3)/115(2)/123/61(2)/127(2) बीएनएस व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम व 3/4 मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 06.05.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त खालिद हुसैन पुत्र रफीक निवासी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष को तिकोना पार्क थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी और वादिया की वर्ष 2020 में फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी। उसके बाद वर्ष 2021 में मैने वादिया से निकाह कर लिया था। उसके बाद करीब 8-9 महीने के बाद मैंने वादिया को तलाक दे दिया था। इसी दौरान मैंने वादिया से सम्बन्ध बनाए थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

खालिद हुसैन पुत्र रफीक निवासी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है, पूर्व में 01 अभियोग मारपीट का पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम–

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 45 पव्वे अवैध देशी शराब व मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 05.05.2026 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ अभियुक्त गौरव त्यागी पुत्र शिव कुमार त्यागी निवासी ग्राम सारा थाना निवाडी गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को थाना क्षेत्र निवाडी से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 45 पव्वे अवैध देशी शराब व मोटरसाइकिल बरामद। अभियुक्त के विरूद्ध थाना निवाडी पर आबकारी अधिनियम की धारा- 60/72 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं यह अवैध देशी शराब खरीदकर अपने आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में बेचकर मुनाफा कमा कर अपने शौक पूरे करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

गौरव त्यागी पुत्र शिव कुमार त्यागी निवासी ग्राम सारा थाना निवाडी गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से 45 पव्वे अवैध देशी शराब व मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरूद्ध थाना निवाडी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 06.05.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1. विपिन पुत्र रामकुमार निवासी अमर विहार, राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष 2. ईशू उर्फ विजय कुमार पुत्र बाबूराम निवासी अमर विहार, राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद। उक्त बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना जीटीबी इन्क्लेव दिल्ली पर चोरी का अभियोग पंजीकृत है। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनों एक ही कॉलोनी में रहते है। यह मोटरसाइकिल हमने कुछ दिन पहले दिल्ली से चोरी की थी। आज हम इस मोटरसाइकिल को बेचने के फिराक में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-

1. विपिन पुत्र रामकुमार निवासी अमर विहार, राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।
2. ईशू उर्फ विजय कुमार पुत्र बाबूराम निवासी अमर विहार, राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरूद्ध उक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, पूर्व में थाना जीटीबी इन्क्लेव दिल्ली पर मोटरसाइकिल चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त ईशू उर्फ विजय कुमार पर पूर्व में थाना लोनी बॉर्डर पर हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।